न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

उनवान:— श्रीकिशन बनाम विक्रम

13/11/24

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र आदेश 29 नियम 9 पर बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम बोल की आराजी ख0न0 1936 रकवा 0.28 है0 मे गैरसायल विक्रम सिंह, रामराज, पिन्टू पि0 धनसिंह गूर्जर स्थगन के बावजूद भी वर्णित आराजीयात के पश्चिमी कोने से दक्षिणी कोने की तरफ पक्की दीवार, मकान, टीनशेड कर अवैध कब्जा कर लिया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुकमदे के न्यायोचित निर्णय के लिये उक्त भूमि ख0न0 1936 की मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर उसमे किये गये निर्माण की मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 के जबाब मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल के प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 1.3.23 व 2.6.23 से पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब कर ली है उक्त दोनो रिपोर्टो मे ख0न0 1936 मे गैरसायलान द्वारा कोई निर्माण करना नही पाया गया है। रिपोर्ट मे गैरसायलान द्वारा अपने मालिकाना व कब्जे की आराजी ख0न0 1937 मे जिसमे उनकी वर्षो पुरानी रिहायश है तथा उसकी पुख्ता बाउण्ड्री बनी हुई बताया है। सायल की आराजी ख0न0 1936 मे कोई निर्माण होना नही पाया गया है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 का अवलोकन किया व तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल मौका रिपोर्ट मे ख0न0 1936 मे दक्षिणी दिशा की तरफ विवादित मेड पर कोई निर्माण कार्य बन्द पाया गया साथ ही गैरसायल विक्रम को निर्माण नही करने हेतु पाबन्द किया गया है। जिस पर स्वंय सायलान के हस्ताक्षर है। पत्रावली मे पूर्व मे ही मौका रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। इसलिये बार—बार मौका रिपोर्ट तलब किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

सायलान का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजी ख0न0 1936 रकवा 0.28 है0 सायल की कब्जे काश्त की आराजी है, जिससे गैरसायलान को कोई संबध नही है। गैरसायलान वर्णित आराजीयात मे नीव खोदकर निर्माण करना चाहता है। अतः न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.01.2023 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र मनगढंत व गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है, गैरसायलान, सायल की आराजी के लगवा ख0न0 1937 जो कि गैरसायलान की कब्जे काश्त की आराजी है। उसमे काफी वर्षो पूर्व से रिहायश बना रखी है उक्त दोनो आराजी के बीच की मेड पर बाउन्ड्री करा रखी है। सायल का प्राईमाफेसी केस साबित नही है और नाही प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित है। इसलिये सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर म[illegible] पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली मे [illegible] ख0न0 1936 सायल श्रीकिशन के ना[illegible] टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे ख0न0 1936 [illegible] विवादित मेड पर कोई निर्माण कार्य बन्द पाया गया साथ ही गैरसायल वि[illegible] को निर्माण नही करने हेतु पाबन्द किया गया है। जिस पर स्वंय सायलान के हस्ताक्षर है। पत्रावली मे शामिल जबाब प्रार्थना पत्र अनुसार सायल की आराजी ख0न0 1936 के लगवा गैरसायलान की आराजी ख0न0 1937 है जिसमे गैरसालान द्वारा रिहायश कर

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:45:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner